HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 7598/2025

Abdul Hameed @ Amaruddin @ Deva S/o Mashauddin, Aged About 35 Years, R/o Behind Fakeeron Ki Masjid Kotadi P.s. Gumanpura District Kota City Rajasthan. (At Present Confined At Central Jail Kota)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abdul Rahim Khan, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

30/06/2025

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना**–गुमानपुरा, कोटा शहर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या**–118/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में 11 ग्राम स्मेक बरामद होने का आरोप है जो लघु मात्रा से थोडा अधिक है,

अभियुक्त दिनांक 25.02.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **अब्दुल हमीद उर्फ अमरूद्दीन उर्फ देवा पुत्र मशाउद्दीन** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /6